न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री सगदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— /2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।		1 सुरेश चौधरी 2 जोगेन्द्रसिंह पिसरान चेतनराम 3 गवरीदेवी पत्नी चेतनराम जाति जाट निवासी सागाणी कुआ तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 31/03/23

1160/31/03/23

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सुरेश चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि माननीय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 74/2019 में जारी निर्णय दिनांक 05.10.2012 के क्रम में तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 453 दिनांक 06.05.2013 की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के समय हल्का पटवारी द्वारा गलती से लट्ठा ट्रेस में सांगाणा कुआ के मूल खसरा संख्या 600 के बट्टा संख्या 600, 996/600, 997/600 व 998/600 का नवसृजन हुआ जो परस्पर विपरित दर्ज हो गये, जिन्हे सही करने हेतु अप्रार्थी ने निवेदन किया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भू.अ. निरीक्षक वृत सरली, हल्का पटवारी बेरीवाला तला द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि न्यायालय के निर्णय की पालना में ग्राम सांगाणा कुआ के खसरा संख्या 598, 599, 600 कुल रकबा 28.08 बीघा भूमि का विभाजन किया जाकर नामान्तकरण स्वीकृत करवाकर पुश्त पर विभाजन अनुसार तरमीम अक्ष में खसरा संख्या का सही अंकन किया हुआ है परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करते समय लिपिकीय भूल से खसरा संख्या परस्पर गलत दर्ज हो गये है, जिसे परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.12.2022, नामान्तकरण संख्या 105, जमाबन्दी संवत् 2075—2078, वर्तमान नक्शा एवं प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ—"अ" का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं उनके संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 74/2019 में जारी निर्णय दिनांक 05.10.2012 के क्रम में तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 453 दिनांक 06.05.2013 की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के समय हल्का पटवारी द्वारा गलती से लट्ठा ट्रेस में सांगाणा कुआ के मूल खसरा संख्या 600 के बट्टा संख्या 600, 996/600, 997/600 व 998/600 का नवसृजन हुआ जो परस्पर विपरित दर्ज हो गये, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगाणा कुआ के खसरा संख्या 598, 599, 600 कुल रकबा 28.08 बीघा भूमि के लट्ठा ट्रेस में वर्तमान तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "अ" अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में नक्शा परिशिष्ठ "अ" अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(सगदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 31/03/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर